धारा 24 : नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना

सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम तथा सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनिमय नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि नियम, विनिमय या अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से, यथास्थिति, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।